न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बाड़ीकुई जिला-दौसा

प्रकरण नं० : 35/22.4.2002 SDM B/K
दायर दिनांक 40/17.4.2013 ACM B/K

प्रकरण निर्णय दिनांक 31.8.2021

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र कानाराम
2. सीताराम पुत्र कानाराम

(जाति माली निवासी खेड़जायली तहसील बसवा जिला-दौसा) : वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये मुख्य सचिव सचिवालय जयपुर
2. तहसीलदार तहसील बसवा जिला-दौसा
3. जिला कलेक्टर दौसा

: प्रतिवादीगण

" दावा स्वत्व करार हक उद्घोषणा एवं कब्जा दुरुस्ती एवं हुक्म इम्तनाई दवामी "

निर्णय

वादीगण द्वारा वाद करार हक उद्घोषणा एवं कब्जा दुरुस्ती एवं हुक्म इम्तनाई, विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से पेश किया कि वादीगण के मृतक पिता कानाराम पुत्र सूरजाराम को भू. आवंटन समिति द्वारा दिनांक 15.10.1961 को तत्कालीन खसरा नं० 628 किता में से 10 बीघा भूमि ग्राम खेड़जायली तहसील बसवा जिला-दौसा में आवंटन की गई थी, तथा तत्कालीन पटवारी के द्वारा आवंटित भूमि का कब्जा सम्भलाया गया था तथा कब्जा सम्भलाने से आज दिनांक तक वादीगण काबिज चले आ रहे हैं

वादीगण के पिता विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं खातेदार किया गया है। राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज चला आ रहा है। मु० किशनी देवी तथा भानाराम की मृत्यु हो चुकी है मृतकान के वादीगण खातेदार वारिस है, आवंटित भूमि का कब्जा सेटलमेंट के बाद नक्शा ट्रेस से बतौर तरमीम अंकित नहीं किया गया जबकी राजस्व कार्मिको का कानूनी दायित्व था उक्त गलती के कारण वादीगण को यह पता नहीं लग पाया कि वादीगण को आवंटित भूमि की बजाय दीगर नम्बर की भूमि का कब्जा दिया गया है। संवत 2052 में हुये बन्दोबस्त अभियान के समय वादीगण की खातेदारी में दर्ज 10 बीघा भूमि के रकबे को कम करते हुये आवंटी [illegible] पुरानी [illegible] के ख०नं० 1295 रकबा 0.26, ख०नं० 1300 रकबा 0.22, ख०नं० 1301 रकबा 0.35 कुल कित्ता 3 रकबा 0.83 हे० की खातेदारी दिखाई गई है तथा खाते मे होने वाले रकबा 3.17 हे० भूमि कम करदी गई जिसका बन्दोबस्त अधिकारी को कोई इख्तियार नहीं रहा है। वादीगण को राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने पर पता चला कि वादीगण को उक्त खातेदारान रकबात के अलावा अन्य ख०नं० 1284 से 1290, 1296, 1297, 1298, 1299 कित्ता 10 रकबा 1.77 हे० किस्म चारागाह ग्राम [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] पर उक्त आवंटित पूर्व ख०नं० 628 के बजाय कब्जा चला आ रहा है। पूर्व ख०नं० 628 रद्द होने ख०नं० 1284 से 1290, 1296 से 1299 मौके पर लगते हुये है इसलिए वादीगण ने कब्जा करने मे कोई गलती नहीं की है जो इस तरह काबिज है तहसीलदार तथा वादीगण के खिलाफ धारा 91 LR Act के तहत कार्यवाही चला रखी है, बेदखल करने पर [illegible] हो जिन्हे ध्वंस किया जावे। विवादित भूमि पर मकानात [illegible] कर इसे कड़ी मेहनत से लाखो रुपये की लागत लगाकर कृषि योग्य बनाया है। वादीगण वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद के पैरा नं० 6 मे वर्णित खसरा नम्बरान पर काबिज [illegible] घोषित किये जाने योग्य है।

काश्तकार खातेदार घोषित किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण

[illegible] रजिस्टर्ड [illegible] प्रतिवादीगण

तत्कालिन न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बाड़मेर द्वारा जांच सम्पन्न की गई, प्रतिवादी पेशकार सरकार तहसीलदार बायतु द्वारा जवाब पेश किया तत्पश्चात प्रकरण में तनकीहात कायम की जाकर वादीगण / प्रतिवादीगण को सुनाई गई, वादीगण द्वारा वाद तनकीह में साक्ष्य शपथ पत्र गवाह मगनलाल पुत्र कानाराम (वादी) एवं बाबूलाल पुत्र डालाराम जाति माली निवासी गुडामालानी तथा भानाराम पुत्र भुरताराम जाति जाट निवासी खेड़ जाटो तहसील बायतु प्रस्तुत किये। वादीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली किया गया है तत्पश्चात उपरोक्त प्रकरण न्यायालय उप जिला कलेक्टर बाड़मेर से अन्तरित होकर न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजि0 (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर में प्राप्त होने पर दर्ज रजि0 कर प्रकरण गत आदेशिका के पश्चात् में नियत किया गया।

वादीगण वकील की बहस सुनी गई, हमने वादीगण वकील की बहस पर मनन किया, प्रस्तुत दस्तावेजात, राजस्व रिकार्ड, जवाब पेशकार सरकार तहसीलदार बायतु का अवलोकन किया। तथा प्रकरण में कायम तनकीहात निम्न प्रकार विवेचन किया।

1 तनकी नं0 1 :- आया विवादित भूमि में वादीगण सहखातेदार कब्जे के आधार पर खातेदारी हक के अधिकारी हैं

वादीगण ग्राम खेड़ जाटो की तहसील बायतु जिला बाड़मेर स्थित खातेदारी ख0नं0 628 रकबा 10 बीघा भूमि जो वादीगण के मृतक पिता कानाराम पुत्र भूराराम को आवंटित होकर तत्समय पटवारी हल्का से प्राप्त कब्जा एवं राजस्व जमाबन्दी में वादीगण दर्ज खातेदारी भूमि है, लेकिन राजस्व अधिकारीगण द्वारा वादीगण की आवंटित भूमि का कब्जा सम्भलाने के बाद नक्शा शीट को आवंटित भूमि का सं0 2052 में हुई बन्दोबस्त अभियान में अंकन नहीं किया तत्पश्चात सं0 2052 में ख0नं0 1295, 1300, 130 में कायम जमाबन्दी नई 73 प्रशासनिक ... में ... दर्ज किता 3 रकबा 0.83 हे0 की खातेदारी वादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है तथा शेष कब्जा शुदा भूमि ख0नं0 1294 से 1290, 1296 से 1297 किता 10 रकबा 1.77 हे0 ... दर्ज रिकार्ड कर दिया

उपरोक्त चारागाह भूमि पर वादीगण लगभग 40 साल से लगातार कब्जा काश्त चले आरहे है। कब्जे काश्त की बाबत मे विमला गिरदावरी, नकल जमाबंदी प्रस्तुत की एवं साक्ष्य, शपथ पत्र स्वयं वादी सं० जगदीश, बाबूलाल, नाथूलाल, अलावा करायें। जिनका क्षेत्रफल आया प्रति शामिल पत्रावली करायें। जवाबे पैरोकार सरकार तहसीलदार वल्लभ, ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ख०नं० 1295/0.26, 1300/0.22, 1301/0.35 किता तीन ख०नं० 628 किस्म० से बना जिनका क्षेत्रफल है एवं ख०नं० 1284 से 1290 1296 से 1298 किस्म चारागाह खा०नं० 633 से बना प्रकट है। उपरोक्तानुसार वादीगण ने वाद पत्र मे भी स्वीकार किया है। तथा उपरोक्त पैरोकार के चारागाह भूमि पर खातेदारी घोषणा कराना चाहता है। यह बात सही है कि खतौनी सं० 2033-36 ग्राम खेड़ाआमली तह० वल्लभ के ख०नं० 628 रकबा 10 बीघा वादीगण के मृतक पिता कान्हा राम पुत्र भूरा माली के नाम दर्ज रिकार्ड है लेकिन वादीगण उक्त भूमि की आड मे अवैधरूप से अतिक्रमण कर बैठे ख०नं० 1284 से 1290, 1296 से 1298 किस्म चारागाह जो विगत चारागाह खा०नं० 633 से बने है खातेदारी घोषणा कराना चाहते है। जबकी विगत खा०नं० 633 वादीगण व वादीगण के मृत पिता को न तो आवंटित हुआ है, न ही कभी उनके नाम खातेदारी रही है। राजकीय चारागाह भूमि निर्धारण से किसी को भी दिया जाना राज्य सरकार के प्रचलित नियमो के वर्जित है। एवं अब्दुल रहमान रिट याचिका के निर्देश भी प्रकरण मे प्रभावी होते है उपरोक्त विवेचन से वादीगण वाद मे वर्णित चारागाह भूमि की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी नही है। अतः तनकी वादीगण के खिलाफ तय किया जाना उचित प्रतीत होता है।

तनकी नं० 2:- आया विवादित भूमि मे वादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।

वादीगण का allegation है कि प्रतिवादीगण / मातहत

अधिकारी तहसीलदार वजवा ने वादीगण के खिलाफ लैण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही चालू कर रखी है तथा भूमि उक्त से बेदखल करने व सजा से दण्डित करने पर आमादा है जबकि वादीगण का कब्जा गलत नहीं है प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वादीगण विवादित आराजी बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने सम्बन्धी कोई भी प्रमाणित दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं कर पाए तथा खातेदारी घोषणा करने बाबत तनकी नं० के को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। कोई राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार ही अपनी भूमि पर दीगर लोगो को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। अतः तनकी वादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

तनकी सं० 2:- उपरोक्त तनकीवार विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादीगण विवादित राजकीय चारागाह भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमी है। जिनके विरूद्ध प्रतिवादीगण तहसीलदार वजवा राज० लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने के अधिकारी है।

अतः आदेश है कि,

वादीगण का विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत इस्तकरार एवं घोषणा मय निषेधाज्ञा स्थाई एवं हुक्म इम्तनाई स्थायी - पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

Sd/-

(नीरज कुमार मीना RAS)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजि० (फा०ट्रे०को०) बाड़मेर

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) ...